राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. नया :– 226 / 2024

निर्णय दिनांक : 13/12/24

बनवारी बनाम शीशराम वगै0

1. बनवारी पुत्र सुल्तान निवासी सीथल तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू ।

-- वादी

बनाम

1. शीशराम पुत्र सुल्तान निवासी सीथल तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू ।
2. तहसीलदार, तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।

---- प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया :–

ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 938 रकबा 0.96 हेक्टर अवस्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउंड विभाजन नहीं हुआ है। सभी अपनी सहूलियत से काबिज काश्त हैं। वादी ने अपनी भूमि में सुधार करने के लिए जब प्रतिवादी को कहा तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये तब वाद कारण पैदा हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 02.12.2024 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3466 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी श्री सुनिल कुमार उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल की सरहद में भूमि खसरा नं. 938 रकबा 0.96 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3466 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

13/12/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं